

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर
अपील/आरटीआई/10/2026

मुकेश चन्द शर्मा निवासी ग्राम नयावास तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0 पिन
कोड 321614 मो. नं. 9024517735

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार नदबई

.....रेस्पोंड

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 26.02.2026

अपीलार्थी मुकेश चन्द शर्मा निवासी ग्राम नयावास तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0 द्वारा सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन अपील सं0 060001646527876 इस आशय की प्राप्त हुई है, कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी, द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2026/92 दिनांक 10.02.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार नदबई से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार नदबई का जबाब पत्र क्रमांक आर.टी.आई./2026/02 दिनांक 12.02.2026 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नदबई ने उपलब्ध नहीं कराई है, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

.....2



जिला कलक्टर
भरतपुर

(2)

अपील/आरटीआई/10/2026
मुकेश चन्द शर्मा बनाम लो.सू.अ. तहसीलदार नदबई

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार नदबई ने अपने जबाब पत्र क्रमांक आर.टी.आई./2026/02 दिनांक 12.02.2026 में उल्लेख किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक भू.अभि./आर.टी.आई./2026/110 दिनांक 02.01.2026 द्वारा वांछित सूचना संबन्धित प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

लोक सूचना अधिकारी के उक्त जबाब से जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार नदबई द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना दिया जाना लम्बित नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्त को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नदबई को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर